



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.:1374 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1374

विषय/Sub: गेज़ प्रेसर स्विच (ए आई आर), पार्ट सं. 165400000
Gauge Pressure Switch (AIR), Part Number 165400000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर (एएसईआरडीसी), असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ- 226 016, द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ -226 016 द्वारा उत्पादित "गेज़ प्रेसर स्विच (ए आई आर) " पार्ट सं. 165400000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1370, दिनांक 14 अक्टूबर 2008, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1374 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1374-1आर, दिनांक 10 दिसंबर 2013 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक था।

This is to state that the "Gauge Pressure Switch (AIR)" bearing the Part No.: 165400000, designed and developed by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Aerospace Systems & Equipment Research & Design Centre (ASERDC), Lucknow - 226 016 and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016 was issued with Type Approval No.: 1374 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1374, dated: 14th October 2008. Subsequently it was renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1374-1R dated: 10th December 2013 with validity up to 31st December 2018.

2. आर सी एम ए (लखनऊ) की सिफारिश के अनुसार संदर्भ सं. आर सी एम ए(एलकेओ)/341/3/टेक/4, दिनांक 26 दिसम्बर 2018 द्वारा, उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1374 के परिशिष्ट ' ए ' (पृष्ठ सं. 2 के 1) में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

Based on the request from RCMA (Lko) vide letter Ref. No. RCMA (Lko) / 341/3/Tech /4, dated: 26th December 2018, the following amendment is effected in the Appendix 'A' (Page 1 of 2) of the subject Type Approval No.: 1374.

<i>Wherever/ For</i>	<i>Read As</i>
<i>ACBS No.: 165400000 – 104</i>	<i>ACBS No.: 165400000 – 264</i>
<i>Issue – 2C, Dated: 13th June 2007</i>	<i>Issue – '2I', dated: 08th May 2013</i>

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), सेमिलैक, लखनऊ - 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this TypeApproval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2019based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31stDecember 2023unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow),CEMILAC, Lucknow – 226 016,three (03) monthsbefore the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1374, दिनांक 14 अक्टूबर 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1374, dated:14thOctober2008 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के परिवर्तन करना हो तो सेना एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र(सेमिलैक),बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी।यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC),Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.:सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA – 1374/2R/Amd-01

दिनांक/Date : 30 January 2019

फैक्स सं./Fax No.: 080 – 2523 0856

K.R.

Phd

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)